राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5831/2021

डॉ. कमल कुमार मालव पुत्र श्री परमानंद मालव, निवासी विवेकानंद नगर, कोटा।
कर्मचारी आई.डी.–आरजेबीआर200804036929

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.11.2021
आदेश की दिनांक : 08.09.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने इस अधिकरण में अपील संख्या 2378/2021 प्रस्तुत की थी, जिसमें अपीलार्थी ने अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने को चुनौती दी थी। उक्त अपील में माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक 20.07.2021 (अनुलग्नक–A13) के जरिये यह आदेश दिया था कि अपीलार्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस अभ्यावेदन का नियमानुसार निस्तारण किया जाये। इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर विपक्षी विभाग ने आदेश दिनांक 18.10.2021 (अनुलग्नक–A_1) पारित किया एवं स्थानांतरण/पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध होने के कारण अभ्यावेदन निरस्त किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर गुणावगुण पर विचार नहीं हुआ है। इस प्रकार आक्षेपित आदेश दिनांक 18.10.2021 (अनुलग्नक–A1) उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण इस आधार पर हुआ है कि स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध होने के कारण अभ्यावेदन निरस्त किया गया। वर्तमान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध नहीं है। उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)